

छत्तीसगढ़ शासन
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
:: मंत्रालय, महानदी भवन ::
अटल नगर, जिला रायपुर-492002

---:00:---
// आदेश //

अटल नगर, रायपुर दिनांक 22.08.2019

क्रमांक एफ 1-90/2019/सत्रह/एक (8)::: राज्य शासन एतद्वारा निम्नलिखित **ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक/ए.एन.एम. (महिला)** को कॉलम 6 में उल्लेखित आधार पर स्थानांतरित करते हुए उनके सम्मुख कॉलम क्रमांक 5 में दर्शाए गए स्थान पर तत्काल प्रभाव से अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक पदस्थ करता है:-

क्र	अधिकारी/कर्मचारी का नाम	पदनाम	वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना	आधार
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती अभय किशोर तिर्की	एम.पी.डब्ल्यू. (म.)	उप स्वा. के. पाराधारी, जिला रायगढ़	सामु. स्वा. के. कुनकुरी, जिला जशपुर	स्वयं के व्यय
2	श्रीमती दिनेश्वरी ध्रुव	एम.पी.डब्ल्यू. (म.)	उप स्वा. के. मुनमुना, जिला कबीरधाम	मु. चिकि. एवं स्वा. अधि., जिला रायपुर के विकल्प पर	स्वयं के व्यय
3	सुनीता यादव	ग्रा.स्वा.संयो. (महिला)	उप स्वा.के. इन्दौरी, कवर्धा, जिला कबीरधाम	मु. चिकि. एवं स्वा. अधि., जिला राजनांदगांव के विकल्प पर	पारिवारिक
4	श्रीमती मीना भारती	ग्रा.स्वा.संयो. (महिला)	प्रा.स्वा.के. घोरपुरा विखं मुंगेली जिला मुंगेली	मु. चिकि. एवं स्वा. अधि., जिला दुर्ग के विकल्प पर	स्वयं के व्यय
5	मलिता साहू	ग्रा.स्वा.संयो. (महिला)	उप स्वा.के. बंधी बेमेतरा जिला बेमेतरा	मु. चिकि. एवं स्वा. अधि., जिला दुर्ग के विकल्प पर	स्वयं के व्यय
6	देवकुमारी कंवर	ग्रा.स्वा.संयो. (महिला)	उप स्वा.के. पुरी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र चारामा, जिला उ. ब.कांकेर	मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी धमतरी जिला धमतरी के विकल्प पर	प्रशासनिक
7	श्रीमती युगल किशोरी सोनबरसा	ग्रा.स्वा.संयो. (महिला)	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र लाटाबोड़ सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बालोद जिला बालोद	उप स्वा.के. पुरी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र चारामा, जिला उ. ब.कांकेर	स्वयं के व्यय
8	श्रीमती सरोजनी सोनवानी	ग्रा.स्वा.संयो. (महिला)	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र लच्छनपुर, सामु.स्वा.के. लच्छनपुर जिला बलौदाबाजार	उप स्वा. के. गिरौद, जिला रायपुर	स्वयं के व्यय



9	कु. लक्ष्मी कड़ती	ग्रा.स्वा.संयो. (महिला)	उप स्वास्थ्य केन्द्र तालनार, छिन्दगढ़ जिला सुकमा	खण्ड चिकित्सा अधि., उसूर, जिला बीजापुर के विकल्प पर	स्वयं के व्यय
10	नंद कुमारी सिदार	ग्रा.स्वा.संयो. (महिला)	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र गोपालपुर जिला बलौदाबाजार-भाटापारा	उप स्वास्थ्य केन्द्र छरछेद, जिला बलौदाबाजार	स्वयं के व्यय
11	स्टांसी बंजारे	ग्रा.स्वा.संयो. (महिला)	उप स्वास्थ्य केन्द्र छरछेद, जिला बलौदाबाजार	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र गोपालपुर जिला बलौदाबाजार-भाटापारा	प्रशासनिक
12	श्रीमती हिमानी राजपूत	ग्रा.स्वा.संयो. (महिला)	उप स्वा. के. चक्रवाय, जिला बेमेतरा	मु. चिकि. एवं स्वा. अधि., जिला दुर्ग के विकल्प पर	स्वयं के व्यय
13	श्रीमती विजय लक्ष्मी खुंटे	ग्रा.स्वा.संयो. (महिला)	उप स्वा. के. दरमान, जिला बिलासपुर	मु. चिकि. एवं स्वा. अधि., जिला जांजगीर चांपा के विकल्प पर	प्रशासनिक
14	श्रीमती गीता बंजारे	ग्रा.स्वा.संयो. (महिला)	प्रा. स्वा. के. दीवानमुडा, वि.खं. देवभोग, जिला गरियाबंद	खण्ड चिकित्सा अधि., बिलाईगढ़, जिला बलौदाबाजार के विकल्प पर	स्वयं के व्यय
15	कु. प्रीति साहू	ग्रा.स्वा.संयो. (महिला)	उप स्वा. के. सेमरा, जिला कोरबा	उप स्वा. के. सिंगारडीह, जिला बेमेतरा	स्वयं के व्यय
16	प्रमिला कंवर	ग्रा.स्वा.संयो. (महिला)	उप स्वा. के. सलोरा 'ख' जिला कोरबा	प्रा.स्वा.केन्द्र तुमान वि.ख. करतला जिला कोरबा	स्वयं के व्यय

2/ संबंधित कर्मचारी को 15 दिवस के भीतर स्थानांतरित स्थल में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य है।

3/ संबंधित जिले के नियंत्रक अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/सिविल सर्जन) का दायित्व होगा कि स्थानांतरित अधिकारी को तत्काल कार्यमुक्त करें। समयसीमा में कार्यमुक्त नहीं किये जाने पर संबंधित जिले के नियंत्रक अधिकारी पर जवाबदारी तय कर अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारंभ की जायेगी।

4/ संबंधित जिले के नियंत्रक अधिकारी, स्थानांतरित अधिकारियों के उपस्थिति/ कार्यमुक्ति का पालन प्रतिवेदन दिनांक 12.09.2019 तक जिले की एकजाई सूची विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

5/ संभाग/जिला संवर्ग (कैंडर) के शासकीय सेवकों का उनके आवेदन के आधार पर अन्य संभाग/जिला में स्वैच्छिक स्थानांतरण अथवा प्रशासकीय स्थानांतरण होने से उनकी वरिष्ठता प्रभावित होगी। अतः उपरोक्त स्थानांतरित कर्मचारी यह सुनिश्चित करें कि उन्हें उक्त स्थानांतरण स्वीकार है, यदि नहीं तो वे स्थानांतरित स्थल के लिए कार्यमुक्त न हों। कार्यमुक्त होने की स्थिति में यह माना जावेगा कि उन्हें उनकी वरिष्ठता प्रभावित होना मान्य है। नियंत्रणकर्ता/कार्यालय प्रमुख तदानुसार कार्यवाही कर इस विभाग को तत्काल अवगत करावें।

6/ उपरोक्त स्थानांतरित कर्मचारियों में से यदि कोई वर्तमान पदस्थापना स्थल-जिला में पदस्थ न हो/सेवानिवृत्त/मृत्यु/निलंबित/संविदा हों, तो यह स्थानांतरण आदेश शून्य माना जावेगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,



22.8.19
(सुनील नारायणिया)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

अटल नगर, रायपुर दिनांक 22.08.2019

पृ0कमांक एफ 1-90/2019/सत्रह/एक(9)

प्रतिलिपि:-

13. विशेष सहायक, मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय, अटल नगर, रायपुर।
14. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें संचालनालय, इन्द्रावती भवन, अटल नगर, रायपुर।
15. संचालक, स्वास्थ्य सेवायें संचालनालय, इन्द्रावती भवन, अटल नगर, रायपुर।
16. महालेखाकार, छत्तीसगढ़।
17. संबंधित जिला कलेक्टर, छत्तीसगढ़।
18. संबंधित संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, छत्तीसगढ़।
19. संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, छत्तीसगढ़।
20. संबंधित सिविल सर्जन सह अस्पताल अधीक्षक,, छत्तीसगढ़।
21. संबंधित जिला कोषालय अधिकारी, जिला.....छत्तीसगढ़।
22. संबंधित कर्मचारी
23. प्रभारी निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (एन.आई.सी.), महानदी भवन, मंत्रालय, नवा रायपुर की उपरोक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट में अपलोड करने हेतु।
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
24. स्टॉक फाईल।



22.8.19
अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग